भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1244

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2025

सोमवार, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

सीटीएस के तहत विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1244. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए दो वर्ष से अधिक अवधि के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षुओं की रोजगार दर, विशेष रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आईटीआई छात्रों को प्रदान की जाने वाली मासिक वजीफा की राशि और पात्रता मानदंड क्या हैं; और

(घ) क्या लेवल 4 से ऊपर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) महोदय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन करता है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्तमान में 169 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें से सभी राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढाँचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं और प्रत्येक का एक विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित है। प्रशिक्षण की अवधि छह माह से दो वर्ष तक है। इन पाठ्यक्रमों को संबंधित ट्रेडों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि प्रशिक्षुओं को अर्ध-कुशल/कुशल कामगार के रूप में रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। ये पाठ्यक्रम प्रत्येक पाठ्यक्रम की पात्रता मानदंडों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उपलब्ध हैं। इन 169 पाठ्यक्रमों में से, पाँच पाठ्यक्रम विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए तैयार किए गए हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, कुछ राजकीय आईटीआई को भी अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के लिए पिछले पाँच वर्षों में नियोजित कुल प्रशिक्षुओं, जिनमें दिव्यांग प्रशिक्षु भी शामिल हैं, का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का वित्तीय नियंत्रण और दैनंदिन अभिशासन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि नीतिगत मामले जैसे संबद्धता के लिए मानदंड निर्धारित करना, परीक्षा आयोजित करना, प्रमाण-पत्र जारी करना और पाठ्यचर्या तैयार करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा आईटीआई प्रशिक्षुओं को कोई वजीफा प्रदान नहीं किया जाता है। हालाँकि, राज्य सरकारें अपनी ओर से पहल करते हुए आईटीआई प्रशिक्षुओं को वजीफा प्रदान कर सकती हैं।

(घ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,000 (एक हज़ार) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के स्तरोन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 (पाँच) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल परिव्यय ₹ 60,000 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत, पाठ्यक्रम सामग्री और डिज़ाइन को उद्योग कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है और उभरते क्षेत्रों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिनमें उच्चतर एनएसक्यूएफ-स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने और औद्योगिक मूल्यवर्धन को बढ़ाने हेतु भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल सृजित करना है।

अनुबंध-I

दिनांक 28.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1244 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए पाठ्यक्रम

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**अवधि**	**एनएसक्यूएफ़ स्तर**
1	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	1 वर्ष	स्तर - 3
2	कटिंग और सिलाई	1 वर्ष	स्तर - 3
3	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	1 वर्ष	स्तर - 3
4	बाल और त्वचा देखभाल	1 वर्ष	स्तर - 3
5	मेटल कटिंग अटेंडेंट	2 वर्ष	स्तर - 3

अनुबंध-II

दिनांक 28.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1244 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II और अनुबंध III

पीएमकेवीवाई योजना के अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियोजित समग्र प्रशिक्षुओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा।

राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	वित्त वर्ष-- 20-21	वित्त वर्ष-- 21-22	वित्त वर्ष-- 22-23	वित्त वर्ष-- 23-24	वित्त वर्ष-- 24-25	वित्त वर्ष-- 25-26	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	7,555	7,100	333	-	-	-	14,988
अरुणाचल प्रदेश	2,774	5,517	2,328	88	-	-	10,707
असम	9,926	11,754	5,127	27	-	-	26,834
बिहार	11,493	15,841	2,855	-	-	-	30,189
चंडीगढ़	1,851	402	73	-	-	-	2,326
छत्तीसगढ	1,222	568	706	9	-	-	2,505
दिल्ली	7,510	3,742	212	-	-	-	11,464
गोवा	17	47	-	-	-	-	64
गुजरात	10,911	2,073	1,302	13	-	-	14,299
हरियाणा	7,957	4,008	160	-	-	-	12,125
हिमाचल प्रदेश	2,021	1,580	574	-	-	-	4,175
जम्मू और कश्मीर	7,556	2,126	1,680	41	-	-	11,403
झारखंड	1,606	2,276	1,047	-	-	-	4,929
कर्नाटक	5,030	6,119	134	-	-	-	11,283
केरल	1,213	3,094	829	38	-	-	5,174
लद्दाख	67	-	119	-	-	-	186
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	16,010	12,649	4,217	26	-	-	32,902
महाराष्ट्र	8,830	7,089	520	67	-	-	16,506
मणिपुर	4,661	3,064	540	-	-	-	8,265
मेघालय	1,604	4,871	1,937	-	-	-	8,412
मिजोरम	1,438	1,627	116	-	-	-	3,181
नागालैंड	2,836	763	376	-	-	-	3,975
ओडिशा	3,704	4,211	293	-	-	-	8,208
पुदुचेरी	2,128	748	69	-	-	-	2,945
पंजाब	17,251	9,537	889	-	-	-	27,677
राजस्थान	17,189	14,328	2,754	-	-	-	34,271
सिक्किम	1,479	893	165	-	-	-	2,537
तमिलनाडु	6,016	3,865	1,311	-	-	-	11,192
तेलंगाना	6,724	4,941	408	-	-	-	12,073
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	230	32	-	-	-	-	262
त्रिपुरा	1,420	2,468	1,373	-	-	-	5,261
उत्तर प्रदेश	29,901	17,547	4,477	-	-	-	51,925
उत्तराखंड	9,026	3,949	364	-	-	-	13,339
पश्चिम बंगाल	6,946	5,333	766	-	-	-	13,045
कुल योग	**2,16,102**	**1,64,162**	**38,054**	**309**	**-**	**-**	**4,18,627**

अनुबंध-III

पीएमकेवीवाई योजना के अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियोजित दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा।

राज्यसंघ राज्य / क्षेत्र	**वित्त वर्ष--20-21**	**वित्त वर्ष--21-22**	**वित्त वर्ष--22-23**	**वित्त वर्ष--23-24**	**वित्त वर्ष--24-25**	**वित्त वर्ष--25-26**	**कुल**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	6	-	-	-	-	6
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
असम	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	113	86	-	-	-	-	199
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	23	-	-	-	-	-	23
गुजरात	1	-	-	-	-	-	1
हरियाणा	128	232	-	-	-	-	360
हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-	-	-	1
जम्मू और कश्मीर	92	52	-	-	-	-	144
झारखंड	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	20	-	-	-	-	-	20
केरल	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	144	90	-	-	-	-	234
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	1	-	-	-	-	-	1
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	-	40	-	-	-	-	40
पुदुचेरी	1	1	-	-	-	-	2
पंजाब	200	106	-	-	-	-	306
राजस्थान	940	1,115	-	-	-	-	2,055
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	246	-	2	-	-	-	248
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	515	687	-	-	-	-	1,202
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	2	-	-	-	-	-	2
कुल योग	**2,427**	**2,415**	**2**	**-**	**-**	**-**	**4,844**

*****